जतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7295/2025/कोटपूतली–बहरोड़ राकेश बनाम एस डी ओ नीमराणा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-1-26	**एकलपीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** उपस्थित श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** 1 प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 233 व 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटपुतली बहरोड़ उनवानी राकेश बनाम उपखण्ड अधिकारी नीमराना व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25–7–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2 योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का अपनी बहस में मुख्य कथन यह है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी प्रकरण में अप्रार्थीगण से सांठगांठ कर उसके पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू है। प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने में शंका है। विद्वान पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रकरण में छोटी–छोटी पेशियां नियत कर प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू है। तथा पीठासीन अधिकारी व विपक्षी/अप्रार्थी दोनों ही उंची शाख वाले व्यक्तियों के निकटतम आदमी है इसलिए प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध ही करेंगे इस कारण प्रार्थी को विद्वान पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद ना हो तो उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर देना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में भी जब प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की आशा नहीं थी तो जिला कलेक्टर को प्रकरण को अन्य न्यायालय में जिले से बाहर मुन्तकिल कर देना चाहिये था। इस आधार पर भी विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–7–2025 काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2025 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे। 3 अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने निगरानी मीमों में मनगंढत व काल्पनिक तथ्य अंकित किये है जो	

जतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7295/2025/कोटपूतली–बहरोड़ राकेश बनाम एस डी ओ नीमराणा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्णतया असत्य है। वास्तविकता में प्रार्थी प्रकरण में निर्णय नहीं होने देने चाहता है। प्रकरण में मात्र विलंब हेतु निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। जिसे पहले ही अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2025 विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। 4 हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 5 पीठासीन अधिकारी ने अपना लिखित जबाव न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में मनगंढत व काल्पनिक तथ्य अंकित किये है जो पूर्णतया असत्य है। अपने जबाव के अंत में पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि उक्त प्रकरण का अन्य न्यायालय में मुन्तकिली किया जाता है तो उन्हें कोई आपित्त नहीं है। 6 हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस व पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित जबाव का गहनता से अध्यन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 7 प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हो। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्धेश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित अधीनस्थ न्यायालय में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मात्र पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने हेतु कहा जाना प्रकरण के स्थानांतरण का आधार नहीं बन सकता। अगर किसी पक्षकार द्वारा ठोस कारणों के साथ किसी पीठासीन अधिकारी की निरपेक्षता के बाबत शंका प्रकट की जाती है तो प्रकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये किन्तु साथ ही किसी पक्षकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये कि वह आधारहीन एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगावे अथवा न्याय के मार्ग में रूकावट पैदा करे। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार	

जतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7295/2025/कोटपूतली–बहरोड़ राकेश बनाम एस डी ओ नीमराणा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 8 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध की जावे। निर्णय सुनाया गया। **(अजीत सिंह राजावत)** **सदस्य**	